



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद-211021

दूरभाष सं. : 0532-2447035
Website :- www.uprtou.ac.in

अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मानक/मापदण्ड

(Except B.Ed, B.Ed SE and PGPD Programs)

1. आवेदन-पत्र पर विचार करते समय अपेक्षित कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं यथा भवन, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व परामर्शदाताओं की सुलभ उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। साथ ही संस्था प्रथम वर्ष में न्यूनतम 15 शिक्षार्थी नामांकित करने के लिए वचनबद्ध होंगे।
2. मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था के पुस्तकालय, प्रयोगशाला व अन्य सुविधाओं के प्रयोग करने की अनुमति होगी जिसके लिए शिक्षार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र को निर्धारित प्रारूप (**संलग्नक-01**) पर प्राप्त किया जाय। इस प्रारूप में अध्ययन केन्द्र पर विद्यमान सुविधाओं का पूर्ण व स्पष्ट विवरण मांगा जाये।
4. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का आवेदन करने वाली संस्थाओं से निम्न विवरणानुसार आवेदन शुल्क, जो वापस नहीं होगा, लिया जाये :-

(i) सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाएं	नि: शुल्क
(ii) स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएं	रु. 1500.00
(iii) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त अन्य संस्थाएं	रु. 7500.00

- (iv) उपरोक्त बिन्दु (ii) व (iii) के अन्तर्गत किसी संस्था के स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता पर निरीक्षण शुल्क रु. 5,000/- सम्बन्धित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में अग्रिम जमा करना होगा।
5. क्रमांक 4 के (ii) एवं (iii) पर अंकित शिक्षा संस्थाओं से रु. 12,500/- की वापसी योग्य जमानत राशि (Refundable Caution Money) अध्ययन केन्द्र के अनुमोदन होने के बाद जमा कराई जाये। विश्वविद्यालय को देय आवेदन शुल्क आदि समस्त धनराशियाँ "वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के नाम से इलाहाबाद में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाय।

6. सम्बन्धित विषयों में परामर्श सत्रों में परामर्शदाता का कार्य तथा प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक कार्य का निर्देशन/पर्यवेक्षण कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न योग्यताओं के अनुसार कराया जाय :-

परामर्श कक्षाओं के संचालन के लिए सामान्य कार्यक्रम एवं प्रोफेशनल कार्यक्रमों (जैसे- कम्प्यूटर विज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, प्रबन्धन, पुस्तकालय विज्ञान, कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि जहाँ UGC के साथ-साथ AICTE/ICAR/ICMR आदि के नियम भी लागू होते हैं) में परामर्शदाताओं की योग्यता वरीयता क्रम में निम्नवत् होगी :-

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में सम्बन्धित विषय में नियमित रूप से कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।

अथवा

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में अस्थाई/संविदा/तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो व नेट/पीएच.डी हो तथा सामान्य रूप से स्नातक स्तर की परामर्श कक्षाओं के लिए 03 वर्ष तथा परास्नातक स्तर की परामर्श कक्षाओं के लिए 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता हो।

अथवा

- यथा संभव परामर्शदाता उसी संस्था का शिक्षक/परामर्शदाता होना चाहिए। अनुपलब्धता की दशा में आस-पास स्थित अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं में कार्यरत उपरोक्त योग्यता धारकों से भी वाह्य परामर्शदाताओं के रूप में सहयोग लिया जा सकता है।
7. विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदक महाविद्यालय/संस्था में मूलभूत सुविधाओं में न्यूनतम 500 वर्ग फिट का Covered Area वाला कार्यालय, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय व प्रयोगशाला की समुचित सुविधा होनी चाहिए।
 8. अध्ययन केन्द्र स्वीकृत करने से पूर्व अथवा नये कार्यक्रम अनुमन्य करने से पूर्व जरूरत होने पर कुलपति द्वारा गठित समिति, संस्था का निरीक्षण करके अध्ययन केन्द्र प्रभारी व कुलसचिव के माध्यम से कुलपति जी को विस्तृत आख्या **संलग्नक-2** में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करेगी जिस पर विचारोपरान्त अध्ययन केन्द्र व उसे आवंटित कार्यक्रमों की अनुमति दी जाय। निरीक्षण की स्थिति में निरीक्षण समिति के द्वारा आवेदन-पत्र में प्रस्तुत सभी सूचनाओं/क्रमांकों के सापेक्ष अपनी आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।
 9. पूर्व में स्थापित अध्ययन केन्द्रों या नये अध्ययन केन्द्रों को निम्नानुसार शर्त पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी जा सकती है :-

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
1.	MA/M .Sc/M.Com	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
2.	MLIS	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर की शासन द्वारा मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BLIS या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा। (iii) MLIS उपाधित धारक न्यूनतम तीन अर्ह Guest Faculty. (iv) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच-पाँच प्रतियाँ अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
3.	MJ	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान आदि) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
4.	MBA	वणिज्य या प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक वाणिज्य या प्रबन्धन के स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
5.	MCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty.
6.	BA/B.Sc/B.Com	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
7.	BA(TOURISM)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान।
8.	BLIS	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा। (iii) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच-पाँच प्रतियाँ अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
9.	BBA	वणिज्य अथवा प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
10.	BCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था। एवं

		(i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty. (v) 10+2 अर्हता स्तर के डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।
11.	DHT, DCOM, DIC	संस्था को कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों की मान्यता हो।
12.	DASC, CASC	संस्था को स्नातक स्तर पर गणित या सांख्यिकी की मान्यता हो।
13.	DTS, DRD, APHFE, APCNF, APCCN, APY, APPR, APDF	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
14.	DECCE, DDN, DHEN	यदि संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc. या Food & Nutrition या Para Medical) या B.Ed. या B.Ed.(SE) या BA(Education) की मान्यता हो।
15.	DHA, DFD, DTD, DIP	संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc.) या Vocational की मान्यता हो।
16.	DIU, DUJ & MC, DUNRNA,	संस्था को BA (उर्दू) की मान्यता हो।
17.	DJD, DPC	संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc.) की मान्यता हो।
18.	CAC, CHFE, CWED, CTS, CCY, CTM, CTIEM, CPHT & VA, CCMAP, CLSPS, CNF, CCCN, CRJMC, CHR, CDM	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
19.	CCC	संस्था को कम्प्यूटर कार्यक्रमों की मान्यता हो।
20.	CFC	संस्था को स्नातक में विज्ञान वर्ग के विषयों की संचालन की मान्यता हो।
21.	CCP	संस्था को वाणिज्य या प्रबन्धन विषयों की मान्यता हो।
22.	CCTT, CFD, CTD	संस्था को BA या B.Sc. में गृह विज्ञान या Vocational कार्यक्रमों की मान्यता हो।

किसी संस्था को P.G. Diploma कार्यक्रम (क्रम संख्या 23 से 35 तक) के संचालन के लिए मान्यता देने हेतु वहाँ सम्बन्धित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम संचालन का अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	सम्बन्धित विषय
23.	PGDEA, PGDVGCC	शिक्षाशास्त्र।
24.	PGDDE	सभी विषय।
25.	PGDESD	भूगोल या पर्यावरण विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान या कृषि या रसायन विज्ञान।
26.	PGDCA	कम्प्यूटर विज्ञान।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	सम्बन्धित विषय
27.	PGDHRD, PGDFM, PGDMM, PGDIMB, PGDPM	वाणिज्य या प्रबन्धन।
28.	PGDJMC, PGDRJMC	पत्रकारिता या हिन्दी या अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू।
29.	PGDEMM & FP	पत्रकारिता।
30.	PGDT,	हिन्दी या अंग्रेजी।
31.	PGDFH, PGDCWH	हिन्दी।
32.	PGDGT & PS	राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या इतिहास या शिक्षाशास्त्र या दर्शनशास्त्र।
33.	PGDCP	वाणिज्य या प्रबन्धन या अर्थशास्त्र या राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या कृषि।
34.	PGDGSW	राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या समाज कार्य या भूगोल।
35.	PGDTM	वाणिज्य या प्रबन्धन या भूगोल या अर्थशास्त्र या इतिहास या पर्यटन।

विशेष :-

- (i) B.Ed., B.Ed. (Special Education) व PGPD कार्यक्रमों हेतु मानकों का निर्धारण NCTE/RCI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (ii) MBA/MCA कार्यक्रमों के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त UGC, DEC, एवं AICTE की Joint Committee द्वारा संस्तुत दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर अतिरिक्त मानकों का निर्धारण किया जायेगा।
- (iii) Non-Credit कार्यक्रमों को छोड़कर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होगी।
- (iv) प्रसार कार्यक्रमों को Non-Credit कार्यक्रमों के रूप में संचालित किया जायेगा।
- (v) मानकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विसंगति होने की स्थिति में मा० कुलपति जी का अभिमत/निर्णय अंतिम होगा।
- (vi) अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी शर्त विशेष में मा० कुलपति जी के अभिमत के अनुसार शिथिलता दी जा सकेगी।